न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या– 29/2020
निर्णय दिनांक– 07.12.2020

वादिनी	बनाम	प्रतिवादी
1. मोड कंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी साथीन तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़ 2. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक खांगटा

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

वकील वादिनी ने एक वाद मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि ग्राम सरगियां कलां तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 74 जिसके खसरा नं. 11 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 13 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 172 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 174 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा कुल खसरान 04 कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है जिसको आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी वादिनी के नाम की खातेदारी हकूक की कब्जा सुद भूमि है जिस पर वादिनी काबिज होकर काश्त करती आ रही है।

2. यह है कि वादग्रस्त आराजी वादिनी की खातेदारी भूमि है जिसको वादिनी ने दिनांक 12.04.2001 को हरिसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी सरगियां कलां से खरीद किया था, उस समय पंजीयन दस्तावेजमें खरीददार का पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करना आवश्यक नही था इसलिये वादिनी के परिवार के सदस्यों ने पंजीयन कार्यालय में आकर उक्त दस्तावेज का पंजीयन करवाया लेकिन उन्होंने वादिनी का नाम मोड कंवर पत्नी उम्मेदसिंह लिखने को कहा लेकिन भूलवश उसका नाम माड कंवर पत्नी उदयसिंह लिख दिया। वादिनी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड में वादिनी का नाम मोडकंवर पत्नी उम्मेदसिंह है। वादग्रस्त आराजी में वादिनी ने अपना नाम माडकंवर पत्नी उदयसिंह के स्थान पर मोड कंवर पत्नी उम्मेदसिंह नाम की खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर सम्मन जारी किए गए जिसमें प्रतिवादी सख्या 01 तहसीलदार भोपालगढ़ का जवाब पेश हुआ जिसमें बताया कि हल्का पटवारी रतकुड़िया की जांच रिपोर्ट अनुसार माड कंवर का वास्तविक नाम मोडकंवर है तथा इनके पति उदयसिंह का

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

वास्तविक नाम उम्मेदसिंह है। इनके आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज में नाम मोडकंवर पत्नी उम्मेदसिंह दर्ज है। माडकंवर पत्नी उदयसिंह एवं मोडकंवर पत्नी उम्मेदसिंह एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत साथीन सरपंच व अन्य मौतबिरान से पूछताछ करने पर बताया गया कि माडकंवर पत्नी उदयसिंह एवं मोडकंवर पत्नी उम्मेदसिंह एक ही व्यक्ति है। अतः हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट, साक्ष्यों एवं ग्राम पंचायत साथीन सरपंच व मौतबिरान के बयान अनुसार उक्त राजस्व वाद में वादी का नाम माडकंवर पत्नी उदयसिंह के स्थान पर मोडकंवर पत्नी उम्मेदसिंह किया जाता है तो भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ़ को कोई आपति नहीं है। वादिनी, देवीसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी सरगियां कलां, श्रीराम पुत्र भीरमराम जाति जाट निवासी सरगियां कलां के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये। सरकारी पैरोकार तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत करने के कारण साक्ष्य जिरह नही चाही गयी। वादिनी वकील एवं सरकारी पैराकार तहसीलदार भोपालगढ़ की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वादिनी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों, तहसीलदार भोपालगढ़ के जवाब दावा एवं साक्ष्यों के शपथपत्र एवं वकील वादिनी एवं सरकारी पैरोकार तहसीलदार भोपालगढ़ की बहस के आधार पर वादिनी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि सरगियां कलां तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 74 जिसके खसरा नं. 11 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 13 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 172 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 174 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा कुल खसरान 04 कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा में वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में माड कंवर पत्नी उदयसिंह के स्थान पर मोडकंवर पत्नी उम्मेदसिंह दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़